

## उत्तर प्रदेश शासन दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

<https://scholarship.up.gov.in>

छात्रवृत्ति वर्ष 2026-28

**बी0पी0एड0 (ग्रुप 1)** सत्र 2026-28 प्रथमवर्ष में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्र एवं छात्राओं को छात्रवृत्ति फार्म प्रथमवर्ष में भरना **02** मैट्रिकोत्तर या सेकेंडरी (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, सी0बी0एस0ई बोर्ड, आई0सी0एस0ई बोर्ड, संस्कृत बोर्ड, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बोर्ड, व एन0आई0ओ0एस0 बोर्ड से उत्तीर्ण )के बाद ही की कक्षाओं में अध्ययन छात्रों को यह सुविधा प्रदान होगी **03** छात्र/छात्रा मूल निवासी उ0प्र0 के हो। **04** वह महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति 75 प्रतिशत दर्ज करायेगे। **05** स्नातक में समान्य वर्ग में 55 प्रतिशत ओबीसी में 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग 50 प्रतिशत एस0सी0/एस0टी0 50 प्रतिशत परीक्षाफल होना चाहिए। **06** एस0सी0/एस0टी0 वार्षिक आय प्रमाण 2.50 लाख समान्यवर्ग अल्पसंख्यक ओबीसी 02 लाख पत्र की छायाप्रति, जोकि पिता/माता की होगा दोनों के न होने पर विधिक अभिभावक के नाम का जमा होगा, **07** जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, **08** आधार की छायाप्रति, **09** बैंक पासबुक की छायाप्रति, **10** हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट स्नातक की अंकतालिक एवं प्रमाण पत्र, की छायाप्रति, **11** छात्रवृत्ति शपथपत्र, जिन छात्र/छात्राओं का शिक्षण गैप हो वह अपना गैप शपथपत्र भी जमा करें। अल्पसंख्यक, ओबीसी छात्रवृत्ति वार्षिक (ग्रुप 1) 5500/.(ग्रुप 3) 3000/ समान्यवर्ग, एस0सी0/एस0टी0 छात्रवृत्ति वार्षिक (ग्रुप 1) 7000/.(ग्रुप 3) 3000/